प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

विविध दांडिक याचिका क्रमांक 157/2011

याचिकाकर्ता : संदीप सिंह

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ

श्री शशि भूषण, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री वैभव ए. गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

मौखिक आदेश

(दिनांक 19.08.2011 को पारित)

स्वीकृति स्तर पर सुना गया।

2. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन को सुपुर्दनामा के संबंध में पारित आदेश दिनांक 24.01.2011 (अनुलग्नक -पी/1) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 के संशोधन हेतु प्रार्थना की गई है।

3. वर्तमान प्रकरण के निर्णय हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता टैंकर क्रमांक सी.जी.-07 सी-2142 का स्वामी है, जिसे उसने दिनांक **23.09.2010** को पूर्व पंजीकृत स्वामी से विधिवत रूप से क्रय किया था। उक्त टैंकर को पुलिस थाना चुरिया द्वारा दिनांक 23.10.2010 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा **3/7** (आगे "ई.सी. अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 248/10 के संबंध में जप्त किया गया।इसके पश्चात, अतरिक्त कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा **6-ए** के अंतर्गत अभिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 03.11.2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी मध्य, पुलिस द्वारा दिनांक 31.12.2010 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव के समक्ष अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।याचिकाकर्ता द्वारा वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अभिग्रहण प्राधिकारी ने दिनांक 24.01.2011 को आदेश पारित करते हुए वाहन को सुपुर्दनामा पर दिए जाने का निर्देश दिया, किंतु उक्त आदेश में कुल पाँच शर्तें अधिरोपित की गईं। शर्त क्रमांक-1 से आहत होकर, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार अत्यधिक कठोर तथा अन्यथा अनावश्यक है, याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, किंतु यह कहते हुए उसे विचारणीय नहीं माना गया कि ऐसा पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। इसके पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा **6-सी** के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई, जिसे भी यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि उक्त अपील भी पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने टैंकर के सुपुर्दनामा पर दिए जाने में अधिरोपित अत्यधिक कठोर एवं अनावश्यक शर्त में संशोधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाने के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. बहस के दौरान यह प्रश्न विचारार्थ उभरा कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गठित नामित अभिग्रहण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका विचारणीय है या नहीं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों के तहत अभिग्रहण की कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं/वाहनों की अंतरिम अभिरक्षा के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के *पूनाराम नागपुरे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*[1], *विशाल अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*[2], *महावीर प्रसाद अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[3] *तथा भारत मैहर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*[4] के मामले में दिनांक 18.3.2011 को पारित आदेश के निर्णयों पर अवलंम लिया है। उनका तर्क है कि चूंकि यह न्यायालय अभिग्रहण की कार्यवाही में वस्तु/वाहन की सुपुर्दगी के मामले के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रस्तुत याचिकाओं को सुनवाई हेतु ग्रहण करता रहा है, इसलिए इस याचिका पर भी सुनवाई किया जा सकता है और उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस न्यायालय ने ***जनकराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** (सी.आर.एम.पी क्रमांक 823/10) के मामले में, जिसे 7.12.2010 को निर्णीत किया गया था, यह विचार व्यक्त किया है कि कलेक्टर, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे इसके बाद "आबकारी अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत अभिग्रहण प्राधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में, यद्यपि एक अधिकरण है, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 की उप-धारा (1) के अर्थ में अधीनस्थ दांडिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता है। उनका तर्क है कि जिन सिद्धांतों पर इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि दांडिक पुनरीक्षण विचारणीय नहीं है, वे धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों के प्रयोग के मामले में वर्तमान मामले में भी समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आबकारी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम की

---

[1] 2004 (3) एम.पी.एच.टी 63 (सी.जी)

[2] 2003 (1) सी.जी.एल.जे 71

[3] 2007 (2) सी.जी.एल.जे.485

[4] सी.आर.एम.पी क्रमांक 12/2011

योजना, जहाँ तक अभिग्रहण का संबंध है, वर्तमान मामले में विचार के लिए सुसंगत पहलुओं पर 'पैरी मटेरिया' (समान) है। इसलिए, वर्तमान मामले में भी, अभिग्रहण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अधीनस्थ दांडिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है और उस कारण से, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां प्रयोग करने योग्य नहीं हैं, बल्कि याचिकाकर्ता को कोई अन्य उपचार उपलब्ध है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कई न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, जो दर्शाते हैं कि इस न्यायालय ने विभिन्न अधिनियमों के तहत अभिग्रहण की कार्यवाही में पारित आदेश से उत्पन्न सुपुर्दनामा पर वस्तु या वाहन को सुपुर्दनामा के मामले में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है। जहाँ तक पूनाराम नागपुरे (उपरोक्त) के मामले में पारित आदेश का संबंध है, इसमें न तो यह प्रश्न उठाया गया था और न ही निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर द्वारा की गई अभिग्रहण की कार्यवाही और पारित अंतरिम अभिरक्षा के आदेश के मामले में अभिग्रहण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही विचारणीय होगी या नहीं। *विशाल अग्रवाल* (उपरोक्त) और *महावीर प्रसाद अग्रवाल* (उपरोक्त) के मामले में भी, यह प्रश्न न तो उठाया गया था और न ही तय किया गया था कि क्या आबकारी अधिनियम और वन अधिनियम के तहत अभिग्रहण की कार्यवाही में अभिग्रहण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ धारा 482 के तहत याचिका विचारणीय होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान मामले में, जिस आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका दायर की गई है, वह आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी. एक्ट) की धारा 6-क के तहत की गई अधिहरण कार्यवाही में अधिहरण प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश द्वारा, कलेक्टर ने हालांकि वाहन को सुपुर्दनामा में दिए जाने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ शर्तें अभिनिर्धारित कि गई हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में निहित प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:

"482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति - उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत इस संहिता में कुछ भी इस तरह के आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने के लिए नहीं समझा जाएगा , जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए , या दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है। न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया या अन्यथा।"

10. उपरोक्त प्रावधान के पठन से पता चलता है कि यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए करेगा। इसलिए, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां इस न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में या जब किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, तब प्रयोग करने योग्य होती हैं। आबकारी अधिनियम के तहत अधिहरण प्राधिकारी द्वारा पारित अंतरिम अभिरक्षा के आदेश के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण की पोषणीयता की जांच करते समय, इस न्यायालय ने जनकराम (उपरोक्त) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में निहित प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि सत्र न्यायाधीश अपने या उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी अवर दांडिक न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है ताकि वह किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सके। धारा 397 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक, सत्र न्यायाधीश के अधीन समझे जाएंगे।"

"10. अधिनियम की संविधिक योजना के अनुसार, जैसा की अधिनियम की धारा 47-क में इंगित किया गया है, कलेक्टर को मादक द्रव्य, वस्तुए, उपकरण, बर्तन, सामग्री, वाहन आदि को अधिहरण करने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है जहाँ वह संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के दायरे में आने वाला अपराध किया गया है। पूर्वोक्त सांविधिक योजना के तहत अधिहरण प्राधिकारी के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, कलेक्टर को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 की उप-धारा (1) के अर्थ में अवर दांडिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता है।यद्यपि, कलेक्टर अधिहरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए निश्चित रूप से अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है और उस अर्थ में, एक अधिकरण है, लेकिन अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के अभाव में, अधिहरण प्राधिकारी के रूप में कलेक्टर को अवर दांडिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट रूप से, अधिनियम के तहत गठित ऐसा अधिहरण प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के तहत गठित दांडिक न्यायालय नहीं है।अधिहरण प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसी क्षमता में आदेश पारित करते समय, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग किया है, और इसलिए, इसे अधीनस्त दांडिक न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। ***मथुरा प्रसाद राजगढ़िया बनाम कनाईलाल मल्लिक और अन्य, एआईआर 1968 कलकत्ता 170, और मामू बनाम केरल राज्य, एआईआर 1980 केरल 18 (पूर्ण पीठ)*** के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय द्वारा जनकराम (उपरोक्त) के मामले में जो विचार अपनाया गया है, वह यह है कि किसी अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अधिहरण प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 की उप-धारा (1) के अर्थ में अधीनस्त दांडिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता है और आगे यह कि कलेक्टर अधिहरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, हालांकि अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग

करता है और उस अर्थ में एक अधिकरण है, लेकिन अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के अभाव में, अधिहरण प्राधिकारी के रूप में कलेक्टर को अधीनस्त दांडिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले में भी लागू होते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिहरण की योजना आबकारी अधिनियम के प्रावधान के समान है। वर्तमान मामले में भी, कलेक्टर को खाद्यान्न, खाद्य तेल आदि को जब्त करने के लिए अधिकृत अधिहरण प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसलिए कलेक्टर अधिहरण प्राधिकारी के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। हालांकि, उक्त अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, वह न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसलिए, मेरी राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका पोषणीय नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है या विधि के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का सहारा ले सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तदनुसार, यह याचिका पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24.1.2011 (अनुलग्नक पी-1), दिनांक 15.2.2011 (अनुलग्नक पी-5) और 23.2.2011 (अनुलग्नक पी-6) की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता को वापस की जाए।

14. अभिलेख के उद्देश्य के लिए उनकी फोटोकॉपी रखने के बाद, ऊपर संदर्भित आदेशों की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाए।

हस्ताक्षरित/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur